न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 126/2021/दावा/बउनवान/महेन्द्र सिंह वगै0 बनाम राज0 सरकार

जीसीएमएस संख्या 2021/193

1. महेन्द्र सिंह आत्मज रघुवीर सिंह जी जाति राजपूत निवासी मूंडली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. भरत सिंह आत्मज रघुवीर सिंह जी जाति राजपूत निवासी मूंडली तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल, जिला बारां (राज०)
2. श्रीमान जिला क्लेक्टर महोदय बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री वीरेन्द्र सिंह

दायरा दिनांक: 11.10.2021 **निर्णय दिनांक: 10.03.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है:–

1. यह कि ग्राम मुंडली तहसील मांगरोल जिला बारां में खसरा नम्बर 644 की 3–99 हेक्टर भूमि स्थित चली है। जो राज्य सरकार के खाते सिवाय तक दर्ज है। नकल जमावली सलंग्न है।
2. यह कि वादीगण ग्राम मूंडली तहसील मांगरोल के निवासीगण हैं व पेशे से काश्तकार है तथा भूमिहीन काश्तकार हैं।
3. यह कि उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शिवाय चक दर्ज चली आ रही है उपरोक्त खसरा नम्बर 644 की 3–99 हेक्टर में से 2–99 हेक्टर भूमि पर वादीगण के पिता व वादीगण का पिछले 50 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि पर वर्तमान में वादीगण की फसल खड़ी हुई है वादीगण ने उक्त भूमि को काफी मेहनत व रकम खर्च कर उपजाऊ बनाया है। उक्त भूमि की काश्त से ही वादीगण अपना स्वंय का व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि से अपनी आजीविका चले रहे हैं जो वादीगण की आजीविका का एक मात्र साधन है।
4. यह कि वादीगण का उक्त भूमि पर लम्बे समय से कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिवादी द्वारा वादीगण के खिलाफ समय–समय पर धारा 91 ले0 रे0 एक्ट की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

कार्यवाही जाती रही है जिसमें वादीगण भूमि का लगान व कडता व जुर्माना की राशि जमा करते चले आ रहे हैं।

5. यह कि प्रतिवादी के द्वारा सिवाय चक भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होने के कारण उनके प्रतिनिधि पटवारी हलका द्वारा खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैर मुमकीन काश्त में व पी 14 की नकल में वादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि पर काश्त किये जाने का इन्द्राज है यदि राजस्व रिकार्ड को देखा जाये तो 50 वर्षों के पूर्व के रिकार्ड में भी उपरोक्त भूमि पर वादीगण व उनके पिता की काश्त का इन्द्राज दर्ज चला आ रहा है।
6. यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण व उसके प्रतिनिधि से उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज करने अथवा नियमन/आवंटन करने हेतु कहा तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया जब कि वादीगण कई वर्षो से जुर्माना की राशि जमा करते आ रहे हैं तथा वादीगण के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है व वादीगण भूमि हीन कृषक की श्रेणी में आते हैं। वादीगण के लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे को डिस्टर्ब करने व वादीगण को बेदखल करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।
7. यह कि वादीगण का पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त चले आने के कारण वादीगण को उपरोक्त भूमि को राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत व राजस्थान सरकार के आदेश संख्या क्रम 6 (7) राज–4/77/15 दिनांक 16.10.2001 के आदेश के क्रम में उक्त भूमि को वादीगण अपने नाम नियमन कराने के अधिकारी हैं व उपरोक्त भूमि वादीगण अपने नाम खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं।
8. यह कि वादीगण के पास उपरोक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है और वादीगण का पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त चले आने के कारण वादीगण उक्त भूमि को अपने नाम नियमन अथवा आवंटन करवाने के अधिकारी है जिस हेतु प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाना आवश्यक है।
9. यह कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिवर्ष वादीगण को धारा 91 के नोटिस देकर कार्यवाही की जाती रही हैं, जिसमें जुर्माना आदि जमा कराते आ रहे है दिनांक 02.09.2021 को प्रतिवादी के कर्मचारी पटवारी हलका वादग्रस्त भूमि पर आये तथा वादीगण को धमकी दी कि वे वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे तथा वादीगण की बोई हुयी फसल को जप्त कर लेगे तथा वादीगण को लम्बे कब्जे के आधार पर नियमन अथवा आवंटन करने से भी इन्कार दिया। यदि प्रतिवादी व उसके प्रतिनिधि को उक्त कृत्य करने से नहीं रोका गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

10. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं नियमन/आवंटन की घोषणा का वाद लाना आवश्यक हो गया है जिस हेतु यह वाद पेश है।

11. यह कि वाद कारण प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त भूमि पर वादीगण का लगातार कब्जा पिछले 50 वर्ष से लगातार चले आने के कारण, धारा 91 ले0 रे0 ए0 की कार्यवाही करने, लगान व जुर्माना आदि जमा करने, उक्त भूमि को प्रतिवादी के सिवाय चक खाते से हटाकर वादीगण के खाते दर्ज न करने व नियमन व आवंटन करने से दिनांक 02.09.2021 को मना करते हुये वादींगण के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ।

12. यह कि प्रतिवादी नं0. 1 व 2 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

13. यह कि वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिऐट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी ने वाद में प्रतिवादी नं0. 1 राजस्थान सरकार व उसके प्रतिनिधि प्रतिवादी नं0. 2 को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का अलग से नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

14. यह कि माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है और वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे –

(अ) कि यह घोषित किया जावे कि ग्राम मुंडली तहसील मांगरोल की खसरा नम्बर की 644 की 3.99 हैक्टर भूमि में से 2–99 हेक्टर भूमि का नियमन वादीगण अपने नाम कराने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण नं0. 1 व 2 उक्त भूमि का नियमन नियमानुसार वादीगण के नाम कर दे।

(ब) कि राजस्व रिकार्ड से उपरोक्त ग्राम मूंडली तहसील मांगरोल की खसरा नम्बर की 644 की 3.99 हेक्टर भूमि में से 2–99 हेक्टर भूमि प्रतिवादीगण के सिवाय चक खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमायी जावे।

(स) कि प्रतिवादीगण को अमल दरामद करने हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

(द) कि एक स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण को उपरोक्त ग्राम मूंडली तहसील मांगरोल की खसरा नम्बर की 644 की 3.99 हैक्टर भूमि में से 2–99 हेक्टर भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करे ओर न वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान ही पैदा करे।

(द) कि प्रतिवादी को अमल दरामद करने हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे।

(य) कि वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादी से दिलायी जावे।

(र) कि अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 11.10.2021 को दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन् प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजातव राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन, अध्ययन एवं गहनता से मनन करने पर पाया किवादीगण द्वारा ग्राम मूंडली तहसील मांगरोल के खसरा नं. 644 की 3.99 है0 आराजी में से 2.99 है0 आराजी को वादीगण के नाम नियमन/आवंटन करने हेतु वादपत्र पेश किया है। वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से सिवायचक आराजी पर काबिज काश्त है एवं सिवायचक आराजी पर वर्षो से अतिक्रमी होने के आधार पर अवैध कब्जाशुदा आराजी को स्वयं के नाम आवंटन करवाना चाहता है। चूंकि सिवायचक आराजी का आवंटन, आवंटन समिति द्वारा किया जाता है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः वादपत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन एवं वकील एकपक्षीय बहस से सहमत होते हुए वादपत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांक 10.03.2025 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner